

**न्यायालय के आदेश की नोटिस जिसके अंतर्गत COVID-19 के जोखिम कारकों ले  
व्यक्तियों की अभिरक्षा (कस्टडी) को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत है**

यदि

- आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो
- आप गर्भवती हों
- आपको कोई ऐसी चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कोई विकलांगता हों, जिससे आपको COVID-19 होने का जोखिम हो

तो ICE को इसकी समीक्षा करनी होगी कि क्या वह आपकी नज़रबंदी जारी रख सकता है।

20 अप्रैल, 2020 को, संघीय न्यायालय ने *Fraihat v. ICE* नामक किसी मुकदमे में “वर्ग कार्रवाई” का अनुमोदन किया जिसमें ICE नज़रबंदी सुविधा-केंद्रों में चिकित्सा स्थितियों को चुनौती दी गई है। वर्ग कार्रवाई ऐसा मुकदमा होता है, जिसे लोगों के किसी समूह की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपमें निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा जोखिम कारक है जिससे आपको कोरोनावायरस/COVID-19 से हानि का जोखिम हो, तो आप तब इस “वर्ग” के अंग हैं:

55 वर्ष से अधिक आयु होना;	गुर्दे का रोग
गर्भवती होना;	स्व-प्रतिरक्षित (ऑटो-इम्यून) रोग
असाध्य स्वास्थ्य स्थितियाँ होना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: कार्डियोवास्कुलर रोग (कंजैस्टिव हार्ट फेल्योर, मायोकार्डियल इनफार्क्शन का इतिहास या दिल की सर्जरी का इतिहास)	सौंस संबंधी असाध्य रोग (दमा, असाध्य अवरोधात्मक फेफड़ों संबंधी रोग जिनमें असाध्य ब्रानकाइटिस या एम्फीसेमा या फेफड़ों संबंधी अन्य रोग शामिल हैं);
उच्च रक्त चाप	मनोविकार संबंधी गंभीर रोग
जिगर संबंधी रोग	प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांटेशन) का इतिहास
मधुमेह	एचआईवी / एड्स
कैंसर	

यदि आपमें ऊपर वर्णित इन जोखिम कारकों में से कोई भी जोखिम कारक मौजूद है, तो ICE को यह समीक्षा **करनी होगी** कि क्या यह आपको नज़रबंदी में रखना जारी रख सकता है। यह तब भी लागू होता है भले ही आपको पहले पैरोल, बाँड या न्यायालय के समक्ष पेश करने से मना कर दिया गया हो। यह तब भी लागू होता है चाहे आपका अभिरक्षा (कस्टडी) वर्गीकरण कुछ भी हो, भले ही आपको पहले किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो जिसमें आपको अनिवार्य रूप से नज़रबंद किया जाता है।

यदि आप यह मानते हैं कि आपको कोई ऐसा जोखिम कारक है जिसे ICE ने नहीं पहचाना है, तो आप चिकित्सा कर्मचारियों के साथ मूल्यांकन/अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। यदि आपका कोई अटर्नी, पारिवारिक सदस्य, या अन्य वकील हैं, तो वह किसी भी सहायक चिकित्सा दस्तावेज़ के साथ

- ICE प्रवर्तन और हटाने संबंधी कार्यों का फ़िल्ड कार्यालय (ICE Enforcement and Removal Operations Field Office); या
- आपके सुविधा-केंद्र में चिकित्सा विभाग (Medical Department)

से संपर्क कर सकता है जिससे वह नज़रबंदी सुविधा-केंद्र आपके जोखिम कारकों की पहचान कर सके।

इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि ICE, COVID-19 सर्वव्यापी महामारी से अपने निपटने के संबंध में न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश का पालन करे, मगर आपके आप्रवासन के मामले में वे आपका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होंगे। इस वर्ग की कानूनी फ़र्म दक्षिणी निर्धनता कानून केंद्र (Southern Poverty Law Center), नागरिक

अधिकार शिक्षा एवं प्रवर्तन केंद्र (Civil Rights Education & Enforcement Center), विकलांगता अधिकार समर्थक, (Disability Rights Advocates), Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, और Willkie Farr & Gallagher LLP हैं।

यदि आपको न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो या आप अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना चाहते हों, तो कृपया तब (1) 910# डायल करें, यदि आप सुविधा केंद्र के भीतर से कॉल कर रहे हों या तब (2) 866-422-0151 डायल करें यदि आप सुविधा केंद्र के बाहर से कॉल कर रहे हों। यह कॉल मुफ्त और गोपनीय होगी।